समक्ष- मानूनीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर ॥ म0प्र0॥

8375-0
10/3/06

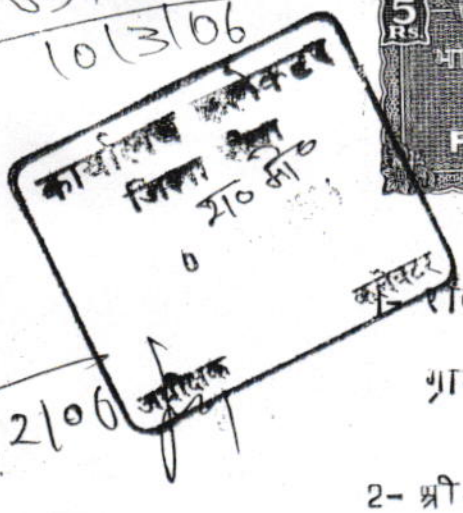

कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0

7
10/2/06
अधीक्षक

1- राजबहोर तनय भोला प्रसाद उम्र 30 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम सरई तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

2- श्रीमती चन्द्रवती विधवा पत्नी श्री भोला प्रसाद उम्र 60 वर्ष पेशा खेती व घर कार्य निवासी ग्राम सरई तह0 सिरमौर जिला रीवा ॥ म0प्र0॥ ---- --- निगरानी कर्ता गण

बनाम

1- श्री निवास तनय सुखदेव उम्र 45 वर्ष पेशा खेती

2- रामनिवास तनय सुखदेव प्रसाद उम्र 40 वर्ष पेशा खेती

3- उमानिवास तनय सुखदेव उम्र 35 वर्ष पेशा खेती

4- ललमणि तनय स्व॰ द्वारिका प्रसाद उम्र 48 वर्ष पेशा खेती

सभी -निवासी ग्राम सरई तह॰ सिरमौर जिला रीवा म॰प्र॰

5- ठाकुर प्रसाद तनय इन्द्रमणि प्रसाद नि॰ सरई तह॰ सिरमौर

6- इन्द्रमणि तनय शिव प्रसाद जिला रीवा ॥ म0प्र0॥ अनावेदकगण

अधीक्षक
कार्यालय जिलाध्यक्ष
जिला रीवा (म॰ प्र॰)

R 496 III / 06

क्रमांक__________
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 10/3/06 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा प्र0क्र0 247/ अपील / 77-78 मे पारित आदेश दिनांक 29॰ 10॰05

---- ---------- -------------

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 सं0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 496–दो/2006 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-8-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0एल0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की 1959 (जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ प्रकरण का संक्षेप्त में सार यह है कि आवेदक के पिता भोला प्रसाद ने अनावेदक क्र0 1 के पिता सुखदेव तथा द्वरिका प्रसाद के विरूद्ध धारा 109/110 में विवादित आराजी का नामांतरण अपने नाम कराने हेतु आवेदन–पत्र तहसील न्यायालय में पेश किया । तहसील न्यायालय द्वारा विचारोपरांत आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 01/अ–6/75–76 में पारित आदेश दिनांक 22.12.77 के द्वारा मात्र यह आधार मानकर कि जब–तक सुखदेव प्रसाद के नाम बदला में प्राप्त की गई भूमियों का नामांतरण नहीं कराया जाता, तब–तक उसके द्वारा द्वारिका प्रसाद के नाम नामांतरण	

कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय विभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय के प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 247/अपील/77–78 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 29.10.05 से अपील निरस्त की गई और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया आदेश यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष की आवेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि द्वरिका प्रसाद से विवादित आराजी लेने की बात स्पष्ट होती है तथा विवादित आराजी को आवेदक ने बदले में प्राप्त की निराधार हो जाती है । सर्वथा विधिक व्यवस्था एवं प्राकृतिक सिद्धांत के प्रतिकूल निष्कर्ष है । विवादित भूमि खसरा क्रमांक 215 का अंश रकबा 1.22 ए0 एवं आराजी नं0 206 का बदला अनावेदक क्र0 1 के पिता द्वारिका प्रसाद के जरिये पंजीकृत बदलानामा प्राप्त कर आवेदक के पिता द्वारा अपने स्वत्व अधिपत्य की भूमि ख0नं0 196/2 जरिये पंजीकृत बदलानामा द्वरिकाप्रसाद को बदलानामा दिनांक 01.07.58 को किया था, जिसमें भूमि ख0नं0 215 के अंश रकबा 1.22 ए0 एवं 206 में आवेदक का कब्जा दखल

कायम है तथा आवेदक के स्वत्व अधिपत्य की भूमि ख0क्र0 196/2 में अनावेदक क्र0 2 के पिता श्री द्वरिका प्रसाद का कब्जा दखल कराया था, एवं वर्तमान में उनके वारिस लालमणि का कब्जा दखल कायम है । इस प्रकार पंजीकृत बदलानामा आवेदक द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके अवलोकन के बगैर परीक्षण न्यायालय ने आवेदक के नामांतरण का आवेदन पत्र खारिज कर दिया, जिसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के यहां की गई थी, द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किये बगैर तथा आवेदक के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किये बगैर प्रश्नाधीन आदेश पारित कर परीक्षण न्यायालय में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखने की त्रुटि की है । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष कि आवेदक द्वारा कोई बदला का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया । सर्वथा परीक्षण न्यायालय का रिकॉर्ड देखे बगैर निकाला गया निष्कर्ष अनावेदक क्रं0 1 व 3 के पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया कि द्वारिका प्रसाद अक्षम व्यक्ति है। वह आवेदक को विवादित भूमि का विनियम करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है । अक्षम व्यक्ति के द्वारा किया गया अन्तरण शून्य है । इस तर्क एवं आदेश में उल्लेखित तथ्य से भी यह प्रमाणित होता है कि विनिमय का कागज आवेदक द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जानकारी अनावेदकगण

को थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है जो कि निरस्तनीय योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि विवादित आराजी का इन्द्राज मृत व्यक्ति सुखदेव प्रसाद के नाम चला आ रहा है और द्वरिका प्रसाद से उक्त विवादित आराजियों को लेना कहा जाता है । परंतु ऐसा कोई दस्तावेज साक्षय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसलिये यह कहना की आवेदक ने बदला में विवादित आराजी प्राप्त की है, वह निराधार हो जाती है । आवेदक ने जो आराजी बदला में लेने की बात कही है, उस पर अनावेदक ने अपना हिस्सा दर्शाया है । ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश उचित है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश समवर्ती होने के कारण हस्तक्षे की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । फलतः आवेदक के द्वार प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य